भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *356
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट आईएफएससी) में कंपनियां

*356. **श्री अनिल फिरोजिया:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट - आईएफएससी) में पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है और उनके प्रकार क्या हैं और क्या विगत पांच वर्षों के दौरान इसके अंतर्गत कोई वृद्धि देखी गई है;

(ख) क्या बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणालियों से संबंधित कंपनियों को गिफ्ट आईएफएससी में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने गिफ्ट-आईएफएससी के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति अथवा पहल की है?

उत्तर
वित्त मंत्री
(श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क), (ख), (ग) एवं (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री अनिल फिरोजिया, माननीय संसद सदस्य द्वारा 'गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट आईएफएससी) में कंपनियां'' के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 356 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क, ख एवं ग): दिनांक 31 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक- सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट आईएफएससी) में कुल 409 कंपनियां वर्तमान में कार्यरत हैं। दिनांक 1 अक्टूबर 2020 और 31 जुलाई 2025 के बीच, ऐसी कंपनियों की संख्या 82 से बढ़कर 409 हो गई है। इसके अलावा, बैंकिंग, आस्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय परितंत्रों को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट आईएफएससी) में शामिल और सक्षम किया गया है। दिनांक 31 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार, 409 कंपनियों का खंड-वार विवरण नीचे दिया गया है: -

	बैंकिंग	**आस्ति प्रबंधन**	**अन्य वित्तीय परितंत्र***	**कंपनियों की कुल संख्या**
गिफ्ट आईएफएससी में कार्यरत कंपनियां	35	100	274	409

*अन्य वित्तीय परितंत्र में बाज़ार अवसंरचना संस्थान, बीमा कंपनियां, वित्तीय कंपनियां आदि शामिल हैं।

(घ): पिछले 5 वर्षों में, भारत सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट आईएफएससी) के विकास के लिए कई प्रगतिशील नीतिगत उपाय किए हैं, जैसे कि - भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत सांविधिक नियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) अधिनियम, 2019 की धारा 3(1) के तहत नवीनतम वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं की अधिसूचना, जैसे कि विमान और जहाज पट्टे पर देना, वैश्विक इन-हाउस केंद्र, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-ठक के अंतर्गत सभी आईएफएससी इकाइयों को 15 वर्षों की ब्लॉक अवधि में से 10 वर्षों के लिए व्यावसायिक आय पर करावकाश आदि। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (गिफ्ट आईएफएससी) में व्यापार सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए, सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विकास आयुक्त की शक्तियां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को प्रत्यायोजित की है और आईएफएससी इकाइयों के लिए एकल खिड़की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (एसडब्ल्यूआईटीएस) के शुभारंभ को भी सुगम किया है।

*****